**धारा 6–ए प्रकरण सं0 50/2016 सरकार बनाम 1– जगदेवसिंह पुत्र श्री जरनेल सिंह निवासी 1–एफडीएम फरीदसर थाना सूरतगढ सदर, जिला श्रीगंगानगर 2–लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति रायसिख निवासी पीपली चक थाना गुरूहरसहाय जिला फिरोजपुर 3–सोना सिंह पुत्र लाभ सिंह (वाहन स्वामी)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**07–11–2017**

1– **पत्रावली** पेश हुई। विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार उपस्थित है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री राजकुमार लूणा उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. **विभागीय प्रतिनिधि** का कथन था कि दिनांक 02.01.2016 को राशि डोगरा, आई.पी.एस., सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा मय जाब्ता तीन पुली के पास, श्रीगंगानगर–हिन्दुमलकोट रोड पर, गुरू हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के आगे पुलिस नाकाबंदी में पकडे साधुवाली की तरफ से आये एक कैन्टर को चैक करने पहुंचे तो नाकाबंदी प्वांईट पर उपस्थित श्रीरामलाल एचसी ने बताया कि उनके द्वारा नाकाबंदी के दौरान आज साधुवाली की तरफ से आये कैन्टर आयशर पीबी 29जी 9501 को चैक किया तो कैन्टर में दो व्यक्ति बैठे थे जिन्होने पूछने पर अपने अपने नाम जगदेव सिंह पुत्र जरनेल सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एफडीएम परीदसर थाना सूरतगढ़ सदर व चालक ने अपना नाम लखविन्द्र सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति रायसिख निवासी पीपली चक थाना गुरूहरसहाय जिला फिरोजपुर (पंजाब) बताया। कैन्टर को चैक करने पर कैन्टर के पीछे रखे 16 ड्रमों में 200 लीटर प्रति ड्रम के हिसाब से कुल 3200 लीटर डीजल होना बताया। इन ड्रमो के ढक्कन खोलकर उसके द्वारा सूंघने व साथी जाब्ता को सूंघाने पर ड्रमों में डीजल होना पाया गया। उनके द्वारा जगदेव सिंह व लखविन्द्रसिंह से इतनी मात्रा में डीजल बाबत पूछा गया था तो दोनो द्वारा डीजल पंजाब राज्य से बेचने के लिए राजस्थान लेकर आना बताया व डीजल परिवहन, लाईसेन्स, परमिट आदि के बारे में पूछने पर दोनो द्वारा कोई कागजात व बिल नही होना बताया व डीजल अवैद्य होना बताया। निर्धारित मात्रा से अधिक डीजल बिना लाईसेन्स के बेचने के लिए परिवहन करते पाये जाने पर 3200 लीटर डीजल मय 16 ड्रम व कैन्टर बतौर वजह सबूत जब्त किये गये एवं मुलजिमान को गिरफतार कर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

थाना कोतवाली श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में दिया गया। दोनो मुलजिमान के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1/2016 दर्ज की गयी। बाद तफतीश मुलजिमान के विरूद्ध चालान दिनांक 03.03.2016 को सीजेएम कोर्ट श्रीगंगानगर में पेश किया गया।

3— **उनका आगे** कथन था कि जगदेव सिंह व लखविन्द्र सिंह द्वारा बिना लाईसेन्स बेचने हेतु तय शुदा मात्रा से ज्यादा डीजल परिवहन कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया है उक्त दोनो द्वारा यह कृत्य कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी Motor Sprit and high speed diesel (Regulation of supply, Distribution and prevention of malpractices) Order 2005 की धारा 2(f)(vii), 2(r) व 4 एंव Petroleum products (mantainence of production, strorage and supply) order 1999 की धारा 2(i), राजस्थान पैट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेंसिग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर 1990 की धारा 3(1) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए जब्त शुदा 3200 लीटर डीजल मय 16 ड्रम एंव एक कैन्टर ट्रक आयशर पीबी—29 जी—9501 को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात किया जावे।

4— **उनका आगे** कथन था कि अप्रार्थीगण जगदेवसिंह, लखविन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर में एफ.आई.आर संख्या 1/2016 दर्ज है और वर्तमान में प्रकरण मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन है। इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण धरा 6ए का है और मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर के न्यायालय में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का है। दोनो न्यायालयों का अपना अपना क्षेत्राधिकार है। इसलिए धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण लंबित रहते हुए धारा 6ए के प्रकरण में कार्यवाही करने में कोई बाधा नही है।

5— **उनका आगे** कथन था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात करने के दशा में वाहन के बाजार भाव तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अतः बाजार मूल्य अनुसार जुर्माना लगाया जावे जो अदा करने पर ही वाहन स्वामी को वाहन लौटाया जा सकता है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

6– **इसके विपरीत** अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री राजकुमार लूणा का कथन था कि जब्त शुदा 3200 लीटर डीजल में 800 लीटर डीजल जगराज सिंह पुत्र जंगीर सिंह, 800 लीटर गुरमीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह, 800 लीटर डीजल अशोक कालड़ा व 800 लीटर डीजल महेन्द्र कालड़ा का है जो उनके द्वारा अपने कृषि कार्यो के लिए खरीद शुदा है जो उक्त वाहन संख्या पीबी 29जी 9501 के जरिये अपने गांव में लाया जा रहा था। इस प्रकार प्रत्येक का 1000–1000 लीटर से डीजल कम है जो राजस्थान पैट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेंसिग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर 1990 के विपरीत नही है और न ही Motor Sprit and high speed diesel (Regulation of supply, Distribution and prevention of malpractices) Order 2005 की धारा 2(f)(vii), 2(r) व 4 एंव Petroleum products (mantainence of production, strorage and supply) order 1999 की धारा 2(i) के विपरीत है। इसलिए उनके विरूद्ध धारा 6ए की कार्यवाही समाप्त की जावे और जब्त शुदा डीजल व वाहन वापिस लौटाये जावे।

7– **उनका आगे** कथन था कि वाहन का चालक लखविन्द्र सिंह है और वाहन केन्टर संख्या पीबी 29जी 9501 का स्वामी सोना सिंह है जिनके द्वारा डीजल का कोई अवैद्य कारोबार नही किया जाता है और न ही किया गया है केवल कृषि कार्य के लिए गुरमीत सिंह वगैरा 4 व्यक्तियों का अलग–2 ड्रमों में डीजल लाया गया था। चूंकि उनके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी आदेश/कानून की उल्लंघना नही की गयी है। इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे एवं जब्त शुदा उक्त वाहन एवं डीजल वापिस लौटाया जावे।

8– **मैने विभागीय प्रतिनिधि** एवं अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री आर.के. लूणा के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 02.01.2016 को राशि डोगरा, आई.पी.एस., सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा मय जाब्ता तीन पुली के पास, श्रीगंगानगर–हिन्दुमलकोट रोड पर, गुरू हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के आगे पुलिस नाकाबंदी में पकडे साधुवाली की तरफ से आये एक कैन्टर को चैक करने पहुंचे तो नाकाबंदी प्वांईट पर उपस्थित श्रीरामलाल एचसी ने बताया कि उनके द्वारा नाकाबंदी के दौरान आज साधुवाली की तरफ से आये कैन्टर आयशर पीबी

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

29जी 9501 को चैक किया तो कैन्टर में दो व्यक्ति बैठे थे जिन्होने पूछने पर अपने अपने नाम जगदेव सिंह पुत्र जरनेल सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एफडीएम फरीदसर थाना सूरतगढ़ सदर व चालक ने अपना नाम लखविन्द्र सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति रायसिख निवासी पीपली चक थाना गुरूहरसहाय जिला फिरोजपुर (पंजाब) बताया। कैन्टर को चैक करने पर कैन्टर के पीछे रखे 16 ड्रमों में 200 लीटर प्रति ड्रम के हिसाब से कुल 3200 लीटर डीजल होना बताया। इन ड्रमो के ढक्कन खोलकर उसके द्वारा सूंघने व साथी जाब्ता को सूंघाने पर ड्रमों में डीजल होना पाया गया। उनके द्वारा जगदेव सिंह व लखविन्द्रसिंह से इतनी मात्रा में डीजल बाबत पूछा गया था तो दोनो द्वारा डीजल पंजाब राज्य से बेचने के लिए राजस्थान लेकर आना बताया व डीजल परिवहन, लाईसेन्स, परमिट आदि के बारे में पूछने पर दोनो द्वारा कोई कागजात व बिल नही होना बताया व डीजल अवैद्य होना बताया। निर्धारित मात्रा से अधिक डीजल बिना लाईसेन्स के बेचने के लिए परिवहन करते पाये जाने पर 3200 लीटर डीजल मय 16 ड्रम व कैन्टर बतौर वजह सबूत जब्त किये गये एवं मुलजिमान को गिरफतार कर थाना कोतवाली श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में दिया गया। दोनो मुलजिमान के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1/2016 दर्ज की गयी। बाद तफतीश मुलजिमान के विरूद्ध चालान दिनांक 03.03.2016 को सीजेएम कोर्ट श्रीगंगानगर में पेश किया गया। जगदेव सिंह व लखविन्द्र सिंह द्वारा बिना लाईसेन्स बेचने हेतु तय शुदा मात्रा से ज्यादा डीजल परिवहन कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया है।उक्त दोनो द्वारा यह कृत्य कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी Motor Sprit and high speed diesel (Regulation of supply, Distribution and prevention of malpractices) Order 2005 की धारा 2(f)(vii), 2(r) व 4 एंव Petroleum products (mantainence of production, strorage and supply) order 1999 की धारा 2(i), राजस्थान पैट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेंसिग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर 1990 की धारा 3(1) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए जब्त शुदा 3200 लीटर डीजल मय 16 ड्रम एंव एक कैन्टर ट्रक आयशर पीबी–29 जी–9501 को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात करने की प्रार्थना की है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

9– **आवश्यक** वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थीगण पर ही था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत बने किसी भी नियम/अधिनियम की उनके द्वारा अवहेलना नही की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

10– **अप्रार्थी सोना सिंह वाहन स्वामी** की ओर से वाहन रजिस्ट्रेशन, इन्श्योरेन्स, परिवहन विभाग का परमिट दि0 18.12.15 एवं मै0 शिवशंकर फिलिंग स्टेशन अबोहर हिन्दूमलकोट रोड़ बकायनवाला के बिल संख्या 20490 दि0 02.01.16 अशोक कालड़ा 800 लीटर, बिल संख्या 20491 दि0 02.01.16 महेन्द्र कालड़ा 800 लीटर, बिल संख्या 20492 दि0 02.01.16 जगराज सिंह 800 लीटर, बिल संख्या 20493 दि0 02.01.16 गुरूमीत सिंह 800 लीटर की प्रतियां प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त किसी भी अप्रार्थीगण ने अन्य कोई साक्ष्य या दस्तावेज अपने बचाव में पेश नही किये है।

11– **इस मामले में यह देखा जाना है कि क्या अप्रार्थीगण द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत बने किसी आदेश/अध्यादेश/अधिनियम के प्रावधानो की अवहेलना की है और परिणाम स्वरूप अप्रार्थीगण से जब्त किया गया 3200 डीजल मय वाहन के राजसात करने योग्य है अथवा नही?**

12– **अप्रार्थी सोना सिंह** जो कि जब्त शुदा वाहन कैन्टर का स्वामी है का कथन कि जब्त शुदा 3200 लीटर डीजल में 800 लीटर डीजल जगराज सिंह पुत्र जंगीर सिंह, 800 लीटर गुरमीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह, 800 लीटर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

डीजल अशोक कालड़ा व 800 लीटर डीजल महेन्द्र कालड़ा का है जो उनके द्वारा अपने कृषि कार्यो के लिए खरीद शुदा है जो उक्त वाहन संख्या पीबी 29जी 9501 के जरिये अपने गांव में लाया जा रहा था। इस प्रकार प्रत्येक का 1000–1000 लीटर से डीजल कम है जो राजस्थान पैट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेंसिग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर 1990 के विपरीत नही है और न ही Motor Sprit and high speed diesel (Regulation of supply, Distribution and prevention of malpractices) Order 2005 की धारा 2(f)(vii), 2(r) व 4 एंव Petroleum products (mantainence of production, strorage and supply) order 1999 की धारा 2(i) के विपरीत है। इसलिए उनके विरूद्ध धारा 6ए की कार्यवाही समाप्त की जावे और जब्त शुदा डीजल व वाहन वापिस लौटाये जावे।

13– **उक्त कथन** के संबंध में मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 02.01.16 को **राशि डोगरा, आई.पी.एस. सहायक पुलिस अधीक्षक** द्वारा मय जाब्ता तीन पुली के पास श्रीगंगानगर–हिन्दूमलकोट रोड पर गुरू हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के आगे पुलिस नाकाबंदी में कैन्टर आयशर रंग भूरा जिसके आगे पीछे नम्बर पीबी 29जी 9501 लिखा है को चैक किया गया तो उसमें रखे 16 ड्रमों में 200 लीटर प्रति ड्रम के हिसाब से 3200 लीटर डीजल पाया गया और वाहन में जगदेव सिंह व लखविन्द्र सिंह चालक बैठे हुए मिले और पूछने पर अपने किसी प्रकार का कोई डीजल बिल या कोई परमिट आदि नही होना बताया बल्कि पंजाब से डीजल खरीद कर राज0 में बेचने के लाना बताया। जिस पर उनके विरूद्ध एफआईआर संख्या 1/2016 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज की गई जिसमें थाना पुलिस द्वारा भी न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है जो अभी तक लंबित है। उक्त धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराधिक प्रकरण लंबित होना व उक्त वाहन कैन्टर से 3200 लीटर डीजल होने के तथ्य को भी अप्रार्थीगण ने स्वीकार किया है और उनके पास डीजल को पंजाब से राजस्थान में विक्रय के लिए लाने का कोई वैद्य अनुज्ञापत्र व परमिट आदि नही है। जिससे स्पष्ट है कि 3200 लीटर डीजल अप्रार्थी सोना सिंह के वाहन कैन्टर संख्या पीबी 29जी 9501 से जब्त किया गया है जो राशि डोगरा आई.पी.एस. सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा जब्त किया गया है। अप्रार्थीगण से

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जब्त शुदा 3200 डीजल व वाहन के विरूद्ध तभी राजसात की कार्यवाही की जा सकती है जब अप्रार्थीगण द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत बने किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार के आदेश व अध्यादेश की उल्लंघना की गई हो।

14– **हस्तगत प्रकरण** में अप्रार्थीगण के विरूद्ध निम्न आदेशो की अवज्ञा करने पर उक्त जब्त शुदा 3200 लीटर डीजल एवं वाहन कैन्टर संख्या पीबी 29 जी 9501 को राजसात करने की प्रार्थना की गई है:–

1–Motor Sprit and high speed diesel (Regulation of supply, Distribution and prevention of malpractices) Order 2005 की धारा 2(f)(vii), 2(r) व 4

2–Petroleum products (mantainence of production, strorage and supply) order 1999 की धारा 2(i) क एवं

3–राजस्थान पैट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेंसिग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर 1990 की धारा 3(1)

15– **उक्त केन्द्रीय** आदेश 2005 के अनुच्छेद 7(1) व केन्द्रीय आदेश 1999 के अनुच्छेद 9 एवं राज्य सरकार के उक्त आदेश 1990 की अनुच्छेद 22(1) के तहत जब्ती की कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधिकारी व राजपत्रित अधिकारी के रूप में सक्षम है। इसलिए सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई जब्ती कार्यवाही अपनी सक्षमता के तहत ही की गई है।

16– **राज0 पैट्रोलियम** उत्पाद (अनुज्ञापन और नियन्त्रण) आदेश 1990 के अनुच्छेद 3(1) के तहत राज्य सरकार की अनुज्ञप्ति दिनांक 11.04.2005 के तहत 1000 लीटर से अधिक डीजल कोई व्यक्ति अपने कब्जे में नही रख सकता है। अगर डीजल वाहन में रखा हुआ हो तो उसमें वाहन की टंकी में उपलब्ध डीजल की मात्रा भी सम्मिलित होगी। राज्य सरकार का उक्त आदेश दिनांक 11.04.2005 निम्न प्रकार से है:–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना कमांक एफ.17(24)खा.वि./विधि/90 दिनांक 16.10.2004 को अधिकमित करते हुये, राज्य सरकार, अनुज्ञाप्तिधारी व्यापारी (Licenced dealer) से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा एक समय में अपने कब्जे में रखे जाने वाले डीजल की अधिकतम मात्रा 1000लीटर नियत करती है। इस मात्रा में वाहन के सर्विस टेंक में उपलब्ध डीजल की मात्रा भी सम्मिलित होगी।

17— चूंकि अप्रार्थीगण जगदेव सिंह व लखविन्द्र सिंह से उक्त वाहन कैन्टर संख्या पीबी 29जी 9501 में 1000 लीटर से अधिक अर्थात 3200 लीटर डीजल पंजाब राज्य से क्रय किया हुआ **बिना अनुज्ञापत्र के परिवहन कर लाया गया है** जो राज0 पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन और नियन्त्रण) आदेश 1990 के अनुच्छेद 3(1) की अवहेलना है। इसलिए उक्त आदेश 1990 के अनुच्छेद 22(1) के तहत **सक्षम अधिकारी द्वारा जब्त शुदा उक्त वाहन मय डीजल राजसात करने योग्य ठहरता है।**

18— जहां तक Petroleum products (mantainence of production, strorage and supply) order 1999 की अनुच्छेद 2(i) का प्रश्न है जो निम्न प्रकार से है:—

"retail sale" means sale of petroleum products not exceeding 2500 litres to any one customer at a time.

19— चूंकि उक्त वाहन में 3200 लीटर डीजल पंजाब राज्य से क्रय करके बिना किसी अनुज्ञापत्र के लाया जा रहा था जो उक्त आदेश 1999 की अनुच्छेद 2(i) की अवहेलना है। इसलिए उक्त आदेश 1999 के अनुच्छेद 9(1) के तहत **सक्षम अधिकारी द्वारा जब्त शुदा उक्त वाहन मय डीजल राजसात करने योग्य ठहरता है।**

20— जहां तक Motor Sprit and high speed diesel (Regulation of supply, Distribution and prevention of malpractices) Order 2005 की धारा 2(f)(vii), 2(r) व 4 का प्रश्न है वह निम्न प्रकार से है:—

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

**2(f)-"Malpractices" shall include the following acts of omission and commission in respect of Motor Spirit and High Speed diesel:-**
**2(f)(vii)- (Unathorised possession)**
**2(r)– "Unathorised possession" means keeping of motor spirit or high speed diesel or any petroleum product or its mixture, in contravention of the provisions of this order, under the control of the dealer or any other person without valid sales documents issued by the concerned oil company;**
**4. Restriction on marketing of motor spirit and high speed diesel-**
**No person, other than those authorised by the Central Government, shall market and sell motor spirit or high speed diesel to consumers or dealers.**

21— **चूंकि अप्रार्थीगण** के पास Motor Sprit and high speed diesel (Regulation of supply, Distribution and prevention of malpractices) Order 2005 के तहत भी केन्द्र सरकार द्वारा जारी कोई प्राधिकारी पत्र उक्त 3200 लीटर डीजल को अपने कब्जे में रखने या विक्रय करने के लिए नही है। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने Motor Sprit and high speed diesel (Regulation of supply, Distribution and prevention of malpractices) Order 2005 की धारा 2(f)(vii), 2(r) व 4 की भी अवहेलना की है। इसलिए अप्रार्थीगण से जब्त शुदा उक्त 3200 लीटर डीजल एवं वाहन कैन्टर संख्या पीबी 29जी 9501 राजसात करने योग्य ठहरता है।

22— **इस प्रकार अप्रार्थीगण** द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश Motor Sprit and high speed diesel (Regulation of supply, Distribution and prevention of malpractices) Order 2005 की धारा 2(f)(vii), 2(r) व 4, Petroleum products (mantainence of production, strorage and supply) order 1999 की धारा 2(i) एवं राजस्थान पैट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेंसिग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर 1990 की धारा 3(1) की अवहेलना के कारण सोना सिंह के वाहन कैन्टर संख्या पीबी 29जी 9501 में **उक्त तीनो आदेशो के तहत सक्षम पुलिस अधिकारी द्वारा जब्त किया गया 3200 लीटर** डीजल मय उक्त वाहन कैन्टर संख्या पीबी 29जी 9501 राजसात किया जाता है। **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 कलक्टर गन्जम बनाम रमेशचन्द्र पाण्डे में पारित निर्णय दिनांक**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

6—2—2009 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये गये वाहन की एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। विभागीय प्रतिनिधि के अनुसार जब्त किये गये उक्त वाहन कैन्टर संख्या पीबी 29जी 9501 का अनुमानित मूल्य 1,05,000रूपये बताया है। चूंकि उक्त वाहन डीजल के अवैद्य कारोबार में लिप्त पाया गया है। इसलिए राजसात किये गये वाहन कैन्टर संख्या पीबी 29जी 9501 की एवज में 80,0000रूपये (अखरे अस्सी हजार रूपये) लगाया जाता है। यह जुर्माना राशि राजसात किये गये उक्त 3200 लीटर डीजल की विक्रय राशि के अतिरिक्त है। यदि वाहन मालिक उक्त जुर्माना राशि अदा कर दे तो उक्त राजसात किया गया वाहन कैन्टर संख्या पीबी 29जी 9501 को उसके स्वामी को नियमानुसार सौंप दिये जावे। यदि वाहन स्वामी द्वारा उक्त जुर्माना राशि जमा नही करवाई जाती है तो जिला रसद अधिकारी को आदेश दिये जाते है कि वह राजसात किये गये उक्त वाहन का राज्यपक्ष में निस्तारण करवावे। जब्त शुद्धा 3200 लीटर डीजल के अन्तरिम निस्तारण का आदेश सं0 927 दिनांक 17.05.16 द्वारा जिला रसद अधिकारी को दिया हुआ है। जिला रसद अधिकारी उक्त 3200 लीटर डीजल की विक्रय राशि को अब स्थाई रूप से राज्यपक्ष में राजकोष में जमा करवावें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

21— **यह आदेश** आज दिनांक 07.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/11/17

( ज्ञाना राम )
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर